Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Service Appeal Case No.- 248 /2023]

Mrityunjay Kumar Ram.....Appellant

Versus

The State of Bihar.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.06.2025	**आदेश** यह सेवा अपील वाद जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक-1108, दिनांक-15.09.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। दिनांक-13.06.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों/ LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी श्री मृत्युंजय कुमार राम, निम्न वर्गीय लिपिक (नाजीर), सौरबाजार अंचल कार्यालय द्वारा एक निजी व्यक्ति से 2,000/- (दो हजार) रूपये लेने का Video स्थानीय स्तर पर Viral हुआ तथा खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। आरोपों की गंभीरता के आलोक में अपीलार्थी श्री मृत्युंजय कुमार राम को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। विभागीय कार्यवाही में अपीलार्थी का पक्ष सुनकर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें आरोप सत्य पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन दण्डादेश ज्ञापांक-1108 दिनांक-15.09.2023 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया। उक्त दंडादेश के विरूद्ध वर्त्तमान अपील सांस्थित है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा हांलाकि लगाये गये आरोपों से पूर्णतः इंकार किया गया, किन्तु अपने निर्दोष होने के दावे के समर्थन में संगत साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अपीलार्थी का यह Self Admission है कि उनके द्वारा श्री मदन प्रसाद यादव नाम के व्यक्ति से घटना की तिथि (17.05.2022) को मो0-2,000/- रू0 कार्यालय में लिया था। जिसका Video स्थानीय स्तर पर Viral हुआ है। उनका दावा है कि उक्त राशि जमीन नापी हेतु नाजीर रसीद के लिये लिया गया था परन्तु अपीलार्थी के Self Admission तथा कागजातों से यह स्थापित होता है कि उनके द्वारा राशि प्राप्त करने के उपरांत सामान्य कार्यालय प्रक्रिया के अनुसार तत्काल नाजीर रसीद संबंधित व्यक्ति को निर्गत नहीं किया गया। अपितु नाजीर रसीद पूर्व की तिथि दिनांक-04.04.2022 को निर्गत दिखाया गया है। इससे यह स्थापित होता है कि आरोपी कर्मी द्वारा पैसे लेने का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपों से बचने के उद्देश्य से लगभग 06 सप्ताह पूर्व का नाजीर रसीद दिखाया गया है, जो इनके अनुवर्ती कदाचार का प्रमाण है। यह स्थापित नियम है कि कार्यालय नाजीर के स्तर पर राशि प्राप्त होते ही संबंधित व्यक्ति को तुरंत नाजीर रसीद दिया जाना है। आरोपी कर्मी द्वारा नाजीर के रूप में राशि प्राप्त करने के	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

	30.06.2025	सापेक्ष नाजीर रसीद निर्गत करने का कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका। अपीलार्थी की ओर से सुनवाई/बहस में उपरोक्त Issue in question पर कोई विधिमान्य उत्तर अथवा स्पष्टीकरण उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः जिला पदाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन दण्डादेश (ज्ञापांक-1108, दिनांक-15.09.2023) विधिमान्य एवं सही है। जिला पदाधिकारी, सहरसा-सह-अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से प्रमाणित आरापों के सापेक्ष दण्ड अधिरोपित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। LCR के साथ आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। Raje K. 30/6/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Raje K. 30/6/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल सहरसा सत्यमेव जयते